
	<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE ORDNANCE FACTORY BOARD AYUDH BHAVAN 10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD KOLKATA-700 001</p>	
TEL : (033) 22485077-80		FAX:(033) 22487822

No. 288/RR/ SRO-SCHOOL/PER/NI

Date : 30-10-2017

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Principal-I, Principal-II and Post Graduate Teacher in Ordnance Factories Organisation.

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of S.R.O 75 dated 20th September, 2017 for the post of Principal-I, Principal-II and Post Graduate Teacher in supersession of earlier SRO related to the above posts for favour of necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.- S.R.O 75 dated 20.09.2017



[Dr.(Smt.) Vani A.Singh]

Director / A&NI

For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-

- 1.Chairman 's Sectt., OFB Kolkata.
- 2.All Members, OFB Kolkata.
- 3.The Addl. DGOF/AV HQrs, Avadi.
- 4.The Addl. DGOF/OEF HQrs, Kanpur.
- 5.Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
- 6.Principal Director/OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
- 7.Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata.
- 8.Section : Per/NG, Per/G, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, सितम्बर 24—सितम्बर 30, 2017, शनिवार/आश्विन 2—आश्विन 8, 1939
No. 31] NEW DELHI, SEPTEMBER 24—SEPTEMBER 30, 2017, SATURDAY/ASVINA 2—ASVINA 8, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2017

का.नि.आ. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुध निर्माणियां संगठन(स्कूल स्थापना के समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , रक्षा मंत्रालय, आयुध कारखाना संगठन में प्रधानाचार्य-I, प्रधानाचार्य-II तथा स्नातकोत्तर शिक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय , आयुध कारखाना संगठन (विद्यालय स्थापना समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन- मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध सूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है एवं ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी को या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रधानाचार्य - I	06*(2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (रु.78800-209200/-)	चयन

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 10 (रु. 56100-177500/-) में ऐसा प्रधानाचार्य-II जिसने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित किए गए संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है और निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता रखते हों -</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री ; तथा</p> <p>(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एड. डिग्री।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,</p>

	<p>अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारियों से -</p> <p>(क)(i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 10 (रु. 56100-177500/-) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो ;</p> <p>और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड.</p> <p>(iii) हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्कूल या इंटरमीडियेट कॉलेज में शिक्षण का दस वर्षों का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1) अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>2) सदस्य(कार्मिक), आयुध कारखाना बोर्ड - सदस्य</p> <p>3) संयुक्त सचिव (आयुध कारखाना), रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग - सदस्य</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. प्रधानाचार्य-II	17*(2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (रु.56100-177500/-)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।</p>	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8 (रु. 47600-151100/-) में ऐसा स्नातकोत्तर शिक्षक (पी जी टी) जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित किए गए संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है और निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो -</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री ; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एड. डिग्री।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क)(I) मूलकाँडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (II) जिन्होंने मूल काँडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु0 47600-151100/-) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों-</p> <p>(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एड. (III) हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षण का तीन वर्षों का अनुभव।</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त मिडिल या हाईस्कूल में कम से कम दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव या प्रशासनिक प्रभार और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,</p>

	<p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) अध्यक्ष या सदस्य: संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2) सदस्य (कार्मिक), आयुध कारखाना बोर्ड - सदस्य 3) संयुक्त सचिव (आयुध कारखाना), रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग - सदस्य <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) अपर महानिदेशक आयुध कारखाना या सदस्य, आयुध कारखाना बोर्ड - अध्यक्ष 2) संयुक्त सचिव (आयुध कारखाना) या निदेशक (कार्मिक) रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग - सदस्य 3) निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड - सदस्य 	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्नातकोत्तर शिक्षक	41* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' गैर-राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (₹.47600-151100/-)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (₹0 44900-142400/-) में ऐसा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और

	<p>प्रधान अध्यापक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है तथा निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों-</p> <p>आवश्यक-</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री; तथा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा स्नातक डिग्री।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>अंग्रेजी और प्रादेशिक दोनों भाषाओं में अध्यापन में प्रवीणता।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पद की सम्बद्ध श्रेणी में विहित अर्हक सेवा, अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संदर्भ में, जोनवार बनाई जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1) उप महानिदेशक, आयुध कारखाना - अध्यक्ष</p> <p>2) निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड - सदस्य</p> <p>3) संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. 41(8)/2010/डी (स्था./एन.जी.)]

अम्लान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th September, 2017

S.R.O. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Ordnance Factories Organisation (Group 'A' and 'B' posts of School Establishment) Recruitment (Amendment) Rules, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal-I, Principal-II and Post Graduate Teacher in the Ministry of Defence, Ordnance Factories Organisation, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These Rules may be called the Ministry of Defence, Indian Ordnance Factories Organisation (Group 'A' and 'B' Posts of School Establishment) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Principal-I	06* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-A Gazetted Non-Ministerial	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p>Promotion :</p> <p>Principal-II in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with ten years of regular service in the grade and have successfully completed mandatory training for two to four weeks in relevant area from the Institute to be prescribed by the Ministry and possessing the following educational qualifications.</p> <p>(a) Master's degree in the concerned subject from a recognised University ; and</p> <p>(b) B.Ed. degree from a recognised University or Institute.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they</p>

	<p>are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract) :</p> <p>Officers under the Central or State Government or Union territories or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or semi-Government or statutory or autonomous organisation,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :-</p> <p>(i) Master Degree from a recognised University;</p> <p>(ii) B.Ed.from a recognised University;</p> <p>(iii) ten years experience in teaching in High School or Higher Secondary School or Intermediate College.</p> <p>Desirable:</p> <p>Knowledge of computer application.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.</p>
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairman ;</p> <p>(2) Member (Personnel) Ordnance Factory Board –Member;</p> <p>(3) Joint Secretary (Ordnance Factories), Ministry of Defence, Department of Defence Production – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Principal-II	17* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two Years

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p>Promotion :</p> <p>Post Graduate Teacher (PGT) in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with two years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training for two to four weeks in relevant area from the institute to be prescribed by the Ministry and possessing the following educational qualifications.</p> <p>(a) Master's degree in the concerned subject from a recognised University; and</p> <p>(b) B.Ed. degree from a recognised university or institute.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or universities or semi Government or statutory or autonomous organisation :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Masters Degree from a recognised University;</p> <p>(ii) B.Ed. from a recognised University or Institute;</p> <p>(iii) Three years experience in teaching in a High School or Higher Secondary School or Intermediate College.</p> <p>Desirable :</p> <p>Administrative experience or Administrative charge for atleast two years in a recognised Middle or High School and knowledge of computer applications.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

	<p>Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.</p>
--	---

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Chairman or Member of Union Public Service Commission, – Chairman ;</p> <p>(2) Member (Personnel), Ordnance Factory Board – Member;</p> <p>(3) Joint Secretary(Ordnance Factories), Ministry of Defence, Department of Defence Production – Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Additional Director General of Ordnance Factories or Member, Ordnance Factory Board – Chairman ;</p> <p>(2) Joint Secretary(Ordnance Factories) or Director (Personnel), Ministry of Defence, Department of Defence Production – Member ;</p> <p>(3) Director, Ordnance Factory Board – Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Post Graduate Teacher.	41* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-B, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100)	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Promotion.	<p>Promotion :</p> <p>Trained Graduate Teacher (TGT) and Head Master (Primary) in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with two years regular service in the grade and possessing the following educational qualifications:-</p> <p>Essential ;</p> <p>(a) Master's Degree in the concerned subject from a recognized University ; and</p> <p>(b) Bachelor's Degree in Education from a recognized University or Institute.</p> <p>Desirable :</p> <p>Proficiency in teaching both in English and regional language.</p> <p>Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared zone wise with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade of post.</p>

	<p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>
--	---

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Deputy Director General, Ordnance Factories – Chairman ;</p> <p>2. Director, Ordnance Factory Board – Member ;</p> <p>3. Joint Director, Ordnance Factory Board – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F.No. 41(8)/2010 –D (Estt/NG)]

AMLAN DAS, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2017

का.नि.आ. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तकनीकी कॉडर भर्ती नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी कॉडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी कॉडर भर्ती नियम, 2000 में अनुसूची - I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची - I

[नियम 3 के उप-नियमों (1) और (4) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी कॉडर

प्रवर्ग, श्रेणियां, वेतनमान और समूह वर्गीकरण

श्रेणी	पदनाम	पद संख्या*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वर्गीकरण : रक्षा सेवा में असैन्य
प्रवर्ग-क'				
1.	तकनीकी 'क'		स्तर 2	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिव
2.	तकनीकी 'ख'		स्तर 4	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिव
3.	तकनीकी 'ग'		स्तर 5	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिव
4.	तकनीकी सहायक 'ख'		स्तर 6	समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिव
5.	तकनीकी अधिकारी		स्तर 7	समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिव
6.	उप योग प्रवर्ग 'क' 5541			

प्रवर्ग - 'ख'

1.	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख'	स्तर 6	समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिव
2.	तकनीकी अधिकारी 'क'	स्तर 7	समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिव
3.	तकनीकी अधिकारी 'ख'	स्तर 10	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिव
4.	तकनीकी अधिकारी 'ग'	स्तर 11	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिव
5.	तकनीकी अधिकारी 'घ'	स्तर 12	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिव
6.	उप योग प्रवर्ग 'ख' 8303		

* फेरफार के अध्यक्षीन

[फा. सं. डीएचआरडी/76237/डीआरटीसी/एसआरओ/सी/एम/01/16/1178/डी (आर एंड डी)/17]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, का.नि.आ. 296, तारीख 5 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित किया गया था और इसे अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किया गया है :-

1. का.नि.आ. 50, तारीख 12-02-2002
2. का.नि.आ. 147, तारीख 28-06-2002
3. का.नि.आ. 33, तारीख 29-02-2008
4. का.नि.आ. 13, तारीख 20-01-2014

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 2nd August, 2017

S.R.O. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000, namely :-

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000, for Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

[See sub-rules (1) and (4) of rule 3]

Defence Research and Development Organisation Technical Cadre
Categories, Grades, Pay Scales and Group Classification

Grade	Designation	Number of post*	Level in the Pay-Matrix	Classification: Civilian in Defence Service
CATEGORY- 'A'				
1.	Technician 'A'		Level 2	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
2.	Technician 'B'		Level 4	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial

3.	Technician 'C'	Level 5	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Technical Assistant 'B'	Level 6	Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial
5.	Technical Officer	Level 7	Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial
6.	SUB TOTAL CATEGORY 'A' 5541		
CATEGORY- 'B'			
1.	Sr. Technical Assistant 'B'	Level 6	Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial
2.	Technical Officer 'A'	Level 7	Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial
3.	Technical Officer 'B'	Level 10	Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
4.	Technical Officer 'C'	Level 11	Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
5.	Technical Officer 'D'	Level 12	Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial".
6.	SUB TOTAL CATEGORY 'B' 8303		

* Subject to variation

[F. No. DHRD/76237/DRTC/SRO/C/M/01/16/1178/D(R&D)/17]

HARSHA RANI, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide S.R.O. 296, dated 5th December, 2000 and amended vide notification numbers :—

1. S.R.O. 50, dated 12-2-2002
2. S.R.O. 147, dated 28-6-2002
3. S.R.O. 33, dated 29-2-2008
4. S.R.O. 13, dated 20-01-2014

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.10.11 19:37:31
+05'30'